पूर्व मध्य रेल

प्रबंधन में रेल कर्मचारियों की भागीदारी

(PARTICIPATION OF RAILWAY EMPLOYEES IN MANAGEMENT – PREM)

वर्ष 2017

प्रेम समूह की द्वितीय बैठक

स्थान :

मुख्यालय सभाकक्ष, हाजीपुर

दिनांक : 28 अगस्त 2017

समय : 11.30 बजे

INTRODUCTION

- **P R E M (Participation of Railway Employee in Management)**
- It was setup in the ministry of Railway in the year 1972 and the Zonal Railways in 1977.
- **On Indian Railways it is working on three-tier basis.**

1. The Railway Board Level (Corporate Enterprise Group of Labour of Management)
2. The Zonal Railway Level
3. The Divisional Railway Level

RAILWAY BOARD LEVEL

- Chairman - Chairman Railway Board
- Convenor - Secretary Railway Board
- Administrative side-Members Railway Board, Advisers & ED’s,
- Staff side - Four representatives of NFIR & AIRF each.
- Four representatives of federation of Railway officers.
- Four representatives of federation of promotee officers association.

ZONAL LEVEL

- Chairman - GM
- Secretary - Dy. GM (G)
- Administrative side - AGM & All PHODs
- Staff side - Four representatives of ECRKU
- Two representatives of Railway Officers Association.
- Two representatives of Promotee Officers Association.
- Two representatives of SC&ST Association.
- Two representatives of OBC Association.
- Two representatives of RPF Association.

DIVISIONAL LEVEL

- Chairman - DRM
- Sectretary - Sr. DPO/ DPO
- Administrative side - ADRM & Branch Executives
- Staff side - Four representatives of ECRKU.
- Two representatives of Railway Officers Association.
- Two representatives of Promotee Officers Association.

PREM Meeting held at Zonal Level-2016

- Meeting : once in three months :
- 1st Meeting :29 April 2016
- 2nd Meeting :02 September 2016
- 3rd Meeting :15 December 2016

PREM Meeting held at Zonal Level-2017

- 1st Meeting : 24 March 2017
- 2nd Meeting : 24 August 2017

OBJECTIVES

- To have better and systematic participation of labour in management with the main objective of improving the efficiency viability of Railway organisation and building the image of Railways as a service organisation
- To proved free flow of exchange of ideas on the running and shaping of Railway organisation
- Apprise the investment programme particularly in regard to housing and welfare activities. **Note :** Staff matters could not be discussed unless linked with the overall productivity of the organisation.

Workers Participation in Management

- Whitely Committee in UK during 1917 has recommended that workers should be given opportunity to participate in the discussion for -
- Promoting productivity for the general benefit of the organisation, employee and community.
- Giving employees a better understanding of their role in the organisation in the process of production.
- Satisfying the workers urge of self expression, to achieve industrial peace, better relationship and cooperation.
- In Railways, workers participation is in practice for a long time by associating the representatives of trade unions in different are as like:Staff benefit fund committee, Quarters & Housing committee

Workers Participation in Management

- Running room advisory committee
- Canteen management committee
- Hospital visiting committee
- Labour advisory committee
- Executive committees of Railway Institute and clubs
- Workshop productivity councils etc.
- In addition in the area of workers participation in management, corporate enterprise groups of management and labour have been formed at Railway Board, Zonal Railway and Divisions, which is now being called as Participation of Railway Employees in management(PREM)

वास्तविक आय (Originating Earnings) (2017–18)

(करोड़ रूपये में)

मद	उपलब्धि (2016–17)	लक्ष्य (2017–18)	संचयी उपलब्धि				
			वास्तविक (2016–17)	आनुपातिक लक्ष्य (2017–18)	उपलब्धि (2017–18)	% अंतर 2016–17	% अंतर आनुपातिक लक्ष्य
यात्री आय	2602.78	2751.62	944.82	998.85	971.08	(+) 2.78	(-) 2.78
अन्य कोचिंग आय	141.46	148.53	51.36	53.92	56.33	(+) 9.68	(+) 4.47
माल आय	10746.90	11456.19	3420.07	3645.80	4008.24	(+) 17.20	(+) 9.94
विविध आय	178.11	397.20	47.77	111.15	51.43	(+) 7.66	(-) 53.73
कुल	13669.25	14753.54	4464.02	4809.72	5087.08	(+) 13.96	(+) 5.77

(जुलाई, 2017 तक)

संविभाजित आय(Apportioned Earnings)(2017–18)

(करोड़ रूपये में)

मद	वास्तविक 2016–17	लक्ष्य 2017–18	वास्तविक जुलाई 2017 के अंत तक	बजट अनुपात जुलाई 2017 के अंत तक	वास्तविक जुलाई 2017 के अंत तक (लगभग)	पिछले वर्ष का		आनुपातिक लक्ष्य	
						अंतर	% अंतर	अंतर	% अंतर
यात्री	2334.38	2550.37	826.48	891.64	868.40	41.92	5.07	-23.24	-2.61
अन्य कोचिंग	54.70	90.91	18.16	30.00	17.81	-0.35	-1.90	-12.19	-40.62
माल	8302.24	9399.01	2524.72	2888.23	2770.02	245.30	9.72	-118.21	-4.09
विविध	178.11	397.20	47.77	111.15	51.43	3.66	7.65	-59.72	-53.73
कुल	10869.43	12437.49	3417.13	3921.02	3707.66	290.53	8.50	-213.36	-5.44

(जुलाई, 2017 तक)

माल लदान (FREIGHT LOADING PERFORMANCE)(मिट्रिक टन में)

मद	वास्तविक 2016–17	लक्ष्य 2017–18	लक्ष्य 2017–18	वास्तविक 2016–17	वास्तविक 2017–18	% अंतर 2016–17	% अंतर लक्ष्य
	वार्षिक		अप्रैल–जुलाई				
कोयला	105.33	111.75	35.08	33.05	36.57	10.64	4.3
कच्चा माल (स्टील प्लान्ट के लिए)	0.08	0.12	0.04	0.04	0.07	85.00	85.0
सिमेंट	1.37	1.92	0.61	0.52	1.15	120.19	87.7
मिनिरल ऑयल	1.37	1.60	0.49	0.41	0.67	62.84	35.9
खाद्य सामग्री	1.05	1.30	0.41	0.61	0.69	13.58	69.3
अन्य	6.97	6.81	2.14	2.15	1.61	-25.27	-24.8
कुल	116.17	123.50	38.77	36.79	40.76	10.80	5.1

(जुलाई, 2017 तक)

टिकट जॉच का कार्य

विवरण	गत वर्ष 2016–17 जुलाई, 2016 तक	चालू वित वर्ष 2017–18 जुलाई, 2017 तक	% अंतर गत वर्ष के साथ
पेनाल्टी मामलों की संख्या (लाख में)	7.60	8.77	(+) 14.62
पेनाल्टी आय (करोड़ में)	31.04	35.54	(+) 14.48
यूबीएल मामलों की संख्या (लाख में)	1.45	1.39	(-) 3.96
यूबीएल से आय (करोड़ में)	0.82	0.77	(-) 6.56

(जुलाई, 2017 तक)

चर्चा का विषय

1.रनिंग रूम /रेस्ट रूम के रख–रखाव एवं अन्य सुविधायें।

2.पूर्व मध्य रेल में स्वच्छता को और बेहतर कैसे कर सकते हैं।

वर्तमान एजेण्डा पर प्राप्त सुझाव/विचार

1.0	एजेण्डा (1)–रनिंग रूम /रेस्ट रूम के रख–रखाव एवं अन्य सुविधायें।	
1.1	1. रनिंग रूम में रनिंग कर्मचारियों के लिए भोजन बनाने की पूर्व की व्यवस्था बहाल होनी चाहिए, क्योंकि ठेकेदारी व्यवस्था से रनिंग कर्मचारी संतुष्ट नहीं है और रनिंग कर्मचारियों को समय पर भोजन नही प्राप्त हो रहा है। इस संबंध में ईसीआरकेयू ने दिनांक 15.12.16 को आयोजित मुख्य परिचालन प्रबंधक के साथ हुई बैठक मे इस मांग को मद सं0 01 के रूप में रखा जाए। 2. भोजन बनाने वाले कर्मचारियों का नियमित स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए। 3. रनिंग रूम में रूम की व्यवस्था अलग–अलग होनी चाहिए, जिससे चालक एवं सह–चालक एक साथ रह सके।	महासचिव ईसीआरकेयू

1.0	**एजेण्डा(1)–रनिंग रूम /रेस्ट रूम के रख–रखाव एवं अन्य सुविधायें।**	
1.1	4. चालक एवं सह–चालक को रनिंग रूम में अपने–अपने रूम मे जाने के पश्चात् उनके समक्ष चादर बदलने की व्यवस्था होनी चाहिए। 5. सभी रनिंग रूम को वातानुकुलित करने की व्यवस्था हो। 6. क्रु–प्वाइंट से रनिंग रूम की दूरी कम से कम होनी चाहिए, तथा रनिंग रूम जाने के लिए पाथ वे की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा देखा गया है कि रनिंग रूम जाने के लिए लाइन एवं गाड़ी को पार करके जाना पड़ता है। 7. रनिंग रूम कमिटी का निरीक्षण रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार सुनिश्चित होना चाहिए। साथ ही साथ जाड़े के लिए गीजर तथा गर्मी में शुद्ध ठंडे पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए।	**महासचिव ईसीआरकेयू**

1.0	**एजेण्डा(1)–रनिंग रूम /रेस्ट रूम के रख–रखाव एवं अन्य सुविधायें।**	
1.1	**रेस्ट रूम** सभी रेस्ट रूम मे आवश्यकता अनुसार बेड का अभाव है, इसे जांच कर बेड की संख्या बढ़नी चाहिए तथा पेय–जल शुद्व एवं पर्याप्त मात्रा मे मिले, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। रेस्ट रूम मे ऐसा देखा जा रहा है कि पर्याप्त संख्या मे कूलर एवं पंखा उपलब्ध नही है, जिसे लगाने की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार रेस्ट रूम मे भी भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए।	**महासचिव ईसीआरकेयू**

1.0	**एजेण्डा (1)–रनिंग रूम/रेस्ट रूम के रख–रखाव एवं अन्य सुविधायें।**	
1.2	रनिंग रूम के सुविधाओं में सुधार हुआ है पिछले पांच वर्षो की तुलना में आज की स्थिति सम्मानजनक है परंतु संतोष जनक नही है जबकि समय समय पर रनिंग रूम इंस्पेक्शन एवं रेस्ट रूम इंस्पेक्शन होते रहते हैं। रेलवे बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया है कि रनिंग रूम में ए.सी. व्यवस्था हो परंतु ए.सी. तो दूर की बात है, बहुत से रनिंग रूम में कूलर शोभा की वस्तु बना हुआ है, ज्यादातर रनिंग रूम में शुद्ध ठंडे पेय जल की व्यवस्था नही है। 1.रक्सौल के रनिंग रूम में एक रूम में 04 बेड है, क्रू को घंटो इंतजार करना पड़ता है तब कही जगह मिल पाता है। शौचालय एवं स्नानघर की स्थिति ठीक नही है।	**महासचिव ओबीसी. एशो.**

1.0	**एजेण्डा(1)–रनिंग रूम /रेस्ट रूम के रख–रखाव एवं अन्य सुविधायें।**	
1.2	2. बक्सर में प्लेटफॉर्म सं0 02 एवं 03 के बीच में रनिंग रूम है ट्रेन के शोर से क्रु को आराम नहीं मिल पाता है। रूम का आभाव है जिसके कारण एक रूम में 06 बेड लगा है जिसके कारण क्रू को कॉल किया जाता है तो दुसरा क्रु डिस्टर्ब होता है। 3. मुगलसराय रनिंग रूम की व्यवस्था भी ठीक नही है 04–04 बेड एक रूम में लगा है। 4. झाझा के रनिंग रूम का किचेन छोटा है जिसमें घरेलू चुल्हा दो मुंहवाला है जिसके कारण क्रु को समय पर भोजन नही मिल पाता है। 5. राजगीर के रनिंग रूम की स्थिति ठीक नहीं है, बरसात में छत से पानी रिसता है जिससे क्रू डिस्टर्ब रहता है।	**महासचिव ओबीसी. एशो.**

1.0	**एजेण्डा(1)–रनिंग रूम /रेस्ट रूम के रख–रखाव एवं अन्य सुविधायें।**	
1.2	6. बरौनी में टीटीई के लिए रेस्ट रूम नया बनाया गया है परन्तु रेस्ट रूम की सुविधा उपलब्ध नही है। आउटसोर्सिंग से व्यवस्था कराई जाये, पुराना रेस्ट रूम दो लाईन के बीच में है जो खतरनाक है एवं दयनीय स्थिति में है। 7. मानसी रनिंग रूम में कूलर की व्यवस्था नहीं है। गर्मी के मौसम में रनिंग रूम/रेस्ट रूम के आस–पास का माहौल तुलनात्मक रूप से ठंडा रहें, इसके लिये रनिंग रूम के परिसर में वृक्षारोपण ज्यादा से ज्यादा खाली जगहो पर किया जाये, रनिंग रूम परिसर का तापमान इससे कम होगा। क्रू बुकिंग प्वाइंट, बरौनी में रेस्ट रूम है ही नही न्यूनतम सुविधा से युक्त शौचालय एवं पेयजल उपलब्ध कराया जाये।	**महासचिव ओबीसी. एशो.**

1.0	**एजेण्डा(1)–रनिंग रूम /रेस्ट रूम के रख–रखाव एवं अन्य सुविधायें।**	
1.3	रनिंग रूम को पूर्ण रूपेण वातानुकूलित होना चाहिए। एक कमरा में एक या दो स्टाफ के लिए ही व्यवस्था होना चाहिए ताकि उनके आराम में खलल न पड़े। बेड रोल की सफाई उच्च स्तर की होनी चाहिए। आर पी एफ बैरक को भी रनिंग रूम की तरह सुविधा संपन्न होना चाहिए।बहुत से बैरक पुराने और जर्जर अवस्था में हैं जैसे लखीसराय,बख्तियारपुर ,झाझा जो बल सदस्यों के रहने योग्य भी नही है। उन बैरक का नया भवन होना चाहिए।बहुत से पोस्ट पर कुक नहीं है जिससे बल सदस्यों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।	**कार्यकारी महासचिव ईसीआरपीएफए**

1.0	**एजेण्डा(1)–रनिंग रूम /रेस्ट रूम के रख–रखाव एवं अन्य सुविधायें।**	
1.4	रनिंग रूम/रेस्ट रूम का रख–रखाव दो तरीके से किया जा रहा है । स्वयं रेलवे द्वारा–अपने कर्मचारियों की सहायता से इसका रख–रखाव किया जाता है । बाहरी स्रोत– रनिंग रूम/रेस्ट रूम का रख–रखाव बाहरी स्रोत से भी किया जा रहा है । अन्य सुविधाएं– रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार सभी रनिंग रूम/रेस्ट रूम में वर्ग–श्रेणी के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध करायी गई हैं ।	मुपरिप्र

1.0	**एजेण्डा (1)–रनिंग रूम /रेस्ट रूम के रख–रखाव एवं अन्य सुविधायें।**	
1.5	1. रसोई एवं पैंट्री को प्रत्येक छः महीने पर रंगाई–पुताई करना एवं रसोई में व्यक्तिगत सुरूची पूर्ण भोजन पकाने की व्यवस्था होनी चाहिए। रसोई घर में आधुनिक सामान जैसे कि डिश वाशर, माइक्रोवेव ओवन, इत्यादि का उपयोग हो। रसोई घर के कर्मचारियों की स्वास्थ्य परीक्षा नियमित रूप से हो। 2. रनिंग रूम में नियमित अवधि पर पेस्ट कंट्रोल करवाना चहिए। 3. सभी बेड के लिए अलग–अलग रीडिंग लाइट होनी चाहिए ताकि एक व्यक्ति के पढ़ने पर दूसरा व्यक्ति डिस्टर्ब न हों ।	**प्रमुइं**

1.0	**एजेण्डा (1)–1.रनिंग रूम /रेस्ट रूम के रख–रखाव एवं अन्य सुविधायें।**	
1.5	4.एक उचित क्षेत्रफल का बिना किसी फर्नीचर के हॉल होना चहिए जिसमें योग, ध्यान किया जा सके और उसमें डीटीएच के साथ टेलीविजन, हिंदी अंग्रेजी में अखबार, पत्रिका आदि उपलब्ध होने चाहिए। 5.रनिंग रूम में बाहर निकलने वाले गेट के समीप आदमकद का दर्पण होना चाहिए जिसमें पूरा बिंब दिखाई पड़ सके तथा जूता पॉलीश करनेवाला मशीन (विद्युतचलित) लगा होना चाहिए।	**प्रमुइं**

1.0	**एजेण्डा (1)–1.रनिंग रूम /रेस्ट रूम के रख–रखाव एवं अन्य सुविधायें।**	
1.6	1.प्रत्येक कमरे में खिड़की के पास डेजर्ट कूलर की व्यवस्था होनी चाहिए। 2.खान–पान एवं साफ – सफाई की व्यवस्था को आउट सोर्स करना उचित है तथा संबंधित एजेंसी के कार्य का उचित निगरानी हो ताकि रनिंग कर्मचारियों द्वारा शिकायत पुस्तिका में दर्ज शिकायत का यथाशीघ्र निवारण हो सके। 3.खान–पान में लगे कर्मचारी (रसोईया एवं बैरा) आदि यूनिफार्म में रहें एवं साफ – सुथरा रहें इसके लिए दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। 4.शाकाहारी एवं मांसाहारी के लिए अलग–अलग रसोईघर होना चाहिए।	**मुसंधि**

1.0	एजेण्डा (1)–1.रनिंग रूम /रेस्ट रूम के रख–रखाव एवं अन्य सुविधायें।	
1.7	**रनिंग रूम/रेस्ट के रख–रखाव एवं अन्य सुविधाएँ :** वाणिज्य सर्कुलर सं. 71/3013 पत्रांक 2010/टीजी–ट/10/03, दिनांक 14.11.2013 के अनुसार मूल रूप से इस कार्य का कार्यान्वयन इंजीनियरिंग और विद्युत विभाग द्वारा किया जाना है। इस संबंध में मंडलों के वाणिज्य विभाग द्वारा इंजीनियरिंग विभाग को पत्र दिया जाता रहा है, जैसाकि वाणिज्य सर्कुलर 71/2013 में स्पष्ट निर्दिष्ट है कि प्लान हेड (शीर्ष)–64 में निर्माण संबंधी कार्य संपन्न कराएं। पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों पर टीटीई विश्राम गृह की स्थिति निम्नवत है :	मुवाप्रा

1.0	**एजेण्डा (1)–1.रनिंग रूम /रेस्ट रूम के रख–रखाव एवं अन्य सुविधायें।**	
1.7	**पटना जं0** में टीटीई विश्राम गृह का निर्माण हो चुका है। फर्नीचर संबंधित संचिका प्रक्रियाधीन है जो अतिशीघ्र खरीदकर टीटीई रेस्ट रूम को चालू कर दिया जाएगा। झाझा रेस्ट रूम के चादर, लिनेन इत्यादि के साफ–सफाई हेतु दिनांक 22.04.2017 से 18.08.2017 तक कोटेशन बेसिस पर कार्य दिया गया है। **सोनपुर मंडल के बरौनी** स्टेशन पर 70 बेड का टीटीई रनिंग रूम हेतु कार्य स्वीकृत है तथा कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2014–15 में आईआरपीएसएम के माध्यम से मुजफ्फरपुर स्टेशन पर 70 बेड का टीटीई रनिंग रूम का प्रावधान हेतु प्रस्तावित किया जा चुका है। उसकी स्वीकृति होने पर परिपत्र सं. 71/2013 के निर्देशानुसार सभी सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा।	**मुवाप्रा**

1.0	एजेण्डा (1)–1.रनिंग रूम /रेस्ट रूम के रख–रखाव एवं अन्य सुविधायें।	
1.7	**समस्तीपुर** – टीटीई रेस्ट रूम निर्माण एवं अन्य सुविधाओं का प्रावधान वाणिज्य सर्कुलर सं. 71/2013 के अनुरूप प्लान हेड 64 के तहत करने हेतु निधि की उपलब्धता सुनिश्चित होने के पश्चात कार्य योजना में सम्मिलित करने हेतु अगले वित्तीय वर्ष में कार्य प्रस्तावित किया जाएगा। वर्तमान में स्थिति की समीक्षा की जा रही है एवं कार्य योजना का प्राक्कलन इत्यादि तैयार किया जा रहा है,ताकि कार्य का अनुमानित लागत कार्य प्रस्तावित से पहले तैयार किया जा सके। **धनबाद** स्टेशन पर स्थित टीटीई विश्राम गृह में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।	मुवाप्रा

1.0	**एजेण्डा (1)–1.रनिंग रूम /रेस्ट रूम के रख–रखाव एवं अन्य सुविधायें।**	
1.7	**सिंगरौली** में नये टीटीई रेस्ट रूम का कार्य (प्लान हेड – 64) में स्वीकृत है। गोमो एवं बरकाकाना में अगले वित्तीय वर्ष में कार्य स्वीकृत कराया जाएगा। **मुगलसराय** – मंडल द्वारा इस संबंध में इंजीनियरिंग एवं विद्युत विभागों को आवश्यक कार्यवाई हेतु अनुरोध किया गया है। मुगलसराय में रूम नं. 17 पुराना गार्ड रेस्ट रूम में टीटीई रेस्ट रूम को शिफ्ट किया गया है एवं देख–रेख हेतु एक सुपरवाईजर की पोस्टिंग किया गया है।	**मुवाप्रा**

1.0	**एजेण्डा (1)–रनिंग रूम /रेस्ट रूम के रख–रखाव एवं अन्य सुविधायें।**	
1.8	रनिंग रूमों का कार्य/रखरखाव बाहरी श्रोत (आउट सोर्स) द्वारा कराया जा रहा है। रनिंग कर्मचारियों को रनिंग रूम में बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए रनिंग रूम में शू साईनिंग मशीन, वाशिंग मशीन, लेग मसाजर, वाटर कूलर डेजर्ट कूलर, वाटर फिल्टर (आर.ओ), फ्रिज, स्टडी/मनोरंजन कक्ष, योग कक्ष की व्यवस्था की गई है तथा गार्डेन में सुधार किया जा रहा है। किउल एवं राजगीर के रनिंग रूम में कमरे एवं बेड के विस्तार का प्रस्ताव 2017–18 में रखा गया है। कहीं–कहीं रनिंग रूम में कवर्ड शेड के साथ मोटर साईकिल एवं साईकिल स्टेंड बनाया गया है।	**मुयांई**

2.0	**एजेण्डा (2)– पूर्व मध्य रेल में स्वच्छता को और बेहतर कैसे कर सकते हैं।**	स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर
2.1	1.डिब्बों एवं स्टेशनों को स्वच्छ रखने के लिए अनाधिकृत वेंडरों एवं अनाधिकृत व्यक्तियों से पूर्णतः कब्जे से हटाने की व्यवस्था होनी चाहिए, साथ ही साथ रेल विभाग को अपने स्टेट ऑफिसर को सक्रिय करने की जरूरत है। 2.गंदगी करने वालो पर नियमानुसार उचित कार्यवाही होनी चाहिए तथा पान–गुटखा कार्यालयों मे जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगनी चाहिए।	**महासचिव ईसीआरकेयू**

2.0	**एजेण्डा (2)– पूर्व मध्य रेल में स्वच्छता को और बेहतर कैसे कर सकते हैं।**	
2.2	1.प्लेटफॉर्म पर शौचालय एवं मूत्रालय का समुचित व्यवस्था हो उदाहरण के लिये बरौनी में प्लेटफॉर्म संख्या 04–05 दोनो ओर (पूर्व एवं पश्चिम) शौचालय एवं मूत्रालय है परन्तु उपयोगकर्ता से 05 रू0 एवं 10 रू0 चार्ज किया जाता है, जिसके कारण लोग वहॉ जाने से परहेज करते और स्टेशन परिसर को गंदा करते है। 2.ट्रेन के कोच में (महत्वपूर्ण ट्रेन में) एक सफाई कर्मचारी डस्टबीन के साथ चले इससे कोच में गंदगी नही रहेगी।	**महासचिव ओबीसी.एशो.**

2.0	**एजेण्डा (2)– पूर्व मध्य रेल में स्वच्छता को और बेहतर कैसे कर सकते हैं।**	स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर
2.2	3. कुछ ट्रेनों में बायो–टॉयलेट की व्यवस्था है परन्तु यात्री उसी में गंदगी डालता है जिसके कारण बायो–टॉयलेट काम नही करता है एवं पूरे कोच में बदबू फैल जाती है। इसके लिये लगातार जागरूकता अभियान प्लेटफॉर्म पर चलाने की आवश्यकता है। 4. रेलवे कॉलोनी की सफाई नही हो पा रही है। कहीं–कहीं कॉलोनी में मल नाली में खुला तैरता हुआ दिखता है, कॉलोनी के सफाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।	**महासचिव ओबीसी.एशो.**

2.0	**एजेण्डा (2)– पूर्व मध्य रेल में स्वच्छता को और बेहतर कैसे कर सकते हैं।**	स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर
2.3	रेल कॉलोनिओं और आर पी एफ बैरक को भी स्वच्छ रखने हेतु आउट सोर्शिंग से सफाई कर्मी की तैनाती होनी चहिए। आर पी एफ के पोस्ट प्रभारी या चौकी प्रभारी को भी एक निश्चित रकम प्रतिमाह मिलनी चाहिए ताकि ऑफिस व बैरक की साफ–सफाई की समुचित व्यवस्था हो सके।	**कार्यकारी महासचिव ईसीआरपीए फए**

2.0	एजेण्डा (2)– पूर्व मध्य रेल में स्वच्छता को और बेहतर कैसे कर सकते हैं।	स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर
2.4	**1.स्टेशनों पर साफ–सफाई के बेहतर इंतजाम**– इसके अंतर्गत स्टेशनों के वर्गीकरण के अनुसार चिकित्सा, वाणिज्य एवं परिचालन विभाग को जिम्मेदारी दी गई है । छोटे स्टेशनों पर सफाई की जिम्मेदारी परिचालन विभाग की है । परिचालन विभाग बेहतर सफाई हेतु स्टेशन मास्टर को इम्प्रेस्ट मनी दिया गया है । कहीं–कहीं डिवीजन के द्वारा ही अनुबंध दिया गया है जिसका पर्यवेक्षण स्टेशन मास्टर को दिया गया है जिससे सफाई में बहुत सुधार हुआ है । इसे और बेहतर करने हेतु स्टेशनों का प्रतियोगिता किया गया है जिसके अंतर्गत स्टेशनों का मार्किंग किया गया है । यह मार्किंग किन्हीं अन्य एजेंसी के द्वारा किया गया है । इससे जो उच्च मापदंड स्थापित किया गया है वह इसे बनाये रखने हेतु एवं जो निम्न या निकृष्ट है वह आगे बढ़ने हेतु प्रयास करेंगे । इससे बेहतर परिणाम आयेगा ।	मुपरिप्र

2.0	**एजेण्डा (2)– पूर्व मध्य रेल में स्वच्छता को और बेहतर कैसे कर सकते हैं।**	स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर
2.4	**2.कूड़े का निष्पादन** – बड़े स्टेशनों पर काफी अधिक मात्रा में कूड़ा जमा होता है इसका सही निष्पादन की सुविधा नहीं होने के कारण काफी कठिनाई होती है । इसके लिए कई कंपनियां कूड़ा खरीदने को तैयार हैं । हम उन्हें यह अवसर देकर कूड़ा के जमाव को कम कर सकते हैं । पश्चिम रेलवे के मुंबई मंडल में एक गाड़ी द्वारा कूड़ा लेकर अन्यत्र भेजा जाता है । इस प्रकार की व्यवस्था पूर्व मध्य रेलवे में भी होनी चाहिए । **3.अवैध वेडरों पर लगाम–** अवैध वेंडर गाड़ी के साथ–साथ स्टेशनों पर गंदगी फैलाने के महत्वपूर्ण कारक है । इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होने के कारण ये कहीं भी दुकान लगा देते है और आस–पास गंदगी फैलाते हैं । इन पर लगाम लगाने से स्टेशनों पर स्वच्छता लायी जा सकती है ।	मुपरिप्र

2.0	**एजेण्डा (2)– पूर्व मध्य रेल में स्वच्छता को और बेहतर कैसे कर सकते हैं।**	स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर
2.4	**4.रेल की सवारी करने वालों में जागरूकता लाना–** रेलवे लाख प्रयास कर ले जब तक इसके उपयोगकर्ता जागरूक एवं सजग नहीं होंगे तब तक हमारी सभी कोशिशें बेकार है । इसके लिए रेल परिसर में पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से लगातार सफाई के बारे में अनाउंसमेंट होना चाहिए । जगह–जगह पम्पलेट द्वारा भी जागरूकता लायी जा सकती है । साथ ही साथ स्टेशन पर सफाई रखने वाले आमलोगों को भी प्रोत्साहित कर इसमें जन–भागीदारी बनाया जाए ।	मुपरिप्र

2.0	**एजेण्डा (2)– पूर्व मध्य रेल में स्वच्छता को और बेहतर कैसे कर सकते हैं।**	स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर
2.5	1. प्लेटफार्म पर डस्टबिन का लोकेशन ऐसा हो जहा पैसेंजर उसे देख सके। डस्टबिन को हमेशा लोहे के चैन से दीवार में अथवा कॉलम में बांधने की व्यवस्था हो। 2. फूट ट्रॉली, फूड ट्रॉली तथा टी–ट्रॉली अपने साथ–साथ एक डस्टबिन (चलंत) भी रखे ताकि पैसेंजर उपभोग के बाद अनुपयोगी सामान उसमें फेक दे। 3. PAS (Public Address System) द्वारा समय–समय पर पैसेंजर को अपील करते रहे कि सफाई मे सहयोग दे तथा कचरा को कचरा पात्र में ही डालें। 4. लेटफार्म व स्टेशन एरिया में गुटखा, पान मसाला इत्यादि को बेचना एवं रेलवे परिसर में प्लास्टिक बैग के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया जाय।	प्रमुइं

2.0	**एजेण्डा (2)– पूर्व मध्य रेल में स्वच्छता को और बेहतर कैसे कर सकते हैं।**	स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर
2.5	5.जहां भी टैप हो वहां से जल निकासी की उचित व्यवस्था हो। 6.सफाई एजेन्सी को पुरे स्टेशन यार्ड की सफाई की जिम्मेवारी होनी चाहिए ताकि सफाई कर्मचारी प्लेटफार्म सरफेस साफ करके गंदगी को ट्रैक पर नहीं गिराय। 7.सर्कुलेटिंग एरिया में कोई भी अतिक्रमण नहीं होने देना चाहिए। 8.अनाधिकृत व्यक्तियों और वेंडरो के प्रवेश पर प्रभावी ढंग से प्रतिबंध लगाया जाय। 9.कोच में पानी भरने की व्यवस्था को केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वाल्ब के द्वारा नियंत्रित किया जाये ताकि जिससे पानी की सप्लाई को बेहतर ढंग से नियंत्रित किया जा सके और पानी की बर्बादी को भी रोका जा सके।	प्रमुइं

2.0	एजेण्डा (2)– पूर्व मध्य रेल में स्वच्छता को और बेहतर कैसे कर सकते हैं।	स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर
2.6	1.कचरा निस्तारण हेतु योजनाबद्ध तरीके से कचरा प्रबंधन की व्यवस्था की जाए। 2.प्लेटफार्म पर डस्टबिन की संख्या बढ़ायी जाए एवं इसके लिए जगह–जगह पर समुचित निर्देश के लिए पोस्टर लगाना चाहिए एवं इसके लिए यात्रियों को जागरूक करने हेतु समय–समय पर उद्घोषणा कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए। 3.स्टेशन पर सफाई के लिए प्रतिनियुक्त किए गए ठेकेदार के कर्मचारी के कार्य–कलाप की उचित निगरानी होनी चाहिए। 4.इस संबंध में पोस्टर एवं उद्घोषणा द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वालों के उपर दंड की व्यवस्था की जानकारी दी जानी चाहिए।	मुसंधि

2.0	एजेण्डा (2)– पूर्व मध्य रेल में स्वच्छता को और बेहतर कैसे कर सकते हैं।	स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर
2.7	1.स्वच्छता के प्रति जागरूकता से संबंधित पोस्टर/बैनर स्लोगन आदि का स्टेशनों पर प्रदर्शन और उद्घोषणा द्वारा प्रचारित किया जाना। 2.स्टेशन परिसर और ट्रेनों में स्वच्छता तथा बेडरोल की सफाई से संबंधित शिकायतों की मॉनिटरिंग। 3.अधिकारियों/निरीक्षकों द्वारा नियमित रूप से स्टेशनों और ट्रेनों का निरीक्षण। 4.अन्य स्टेशनों को भी स्वच्छता के लिए आउटसोर्सिंग प्रणाली में शामिल किया जाना औरउनकी मॉनिटरिंग करना। 5.एस.आई.जी. की त्रिस्तरीय निरीक्षण में स्टेशन स्तर पर पर्यवेक्षक द्वारा मंडल स्तर पर जेएजी/ब्रांच अधिकारी द्वारा और मुख्यालय स्तर पर एसएजी अधिकारियों द्वारा कराया जाना।	मुवाप्रा

2.0	**एजेण्डा (2)– पूर्व मध्य रेल में स्वच्छता को और बेहतर कैसे कर सकते हैं।**	
2.7	6.रेलवे परिसर में गंदगी फैलाने और अशोभनीय हरकत करने वालों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई किया जाना। 7.स्टेशन के फर्श को साफ करने के लिए उपयुक्त मेकेनाइज्ड (यंत्रीकृत) उपकरणों की मदद लिया जाना। 8.कुछ नए प्रयोग यथा पटना जं0 पर सीसीटीवी द्वारा स्वच्छता की मॉनिटरिंग किया जाना। अन्य बड़े स्टेशनों पर भी इस व्यवस्था को क्रमवार ढंग से लागू करने की योजना। 9.स्टेशनों पर अधिक संख्या में डस्ट–बीन की व्यवस्था किया जाना। 10.प्रारंभिक रख–रखाव के दौरान सभी प्रारंभिक–स्वामित्व वाली ट्रेनों में मेकेनाइज्ड कोच क्लीनिंग की व्यवस्था।	**मुवाप्रा**

2.0	**एजेण्डा (2)– पूर्व मध्य रेल में स्वच्छता को और बेहतर कैसे कर सकते हैं।**	स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर
2.7	11.सभी प्रमुख मेल/एक्स. ट्रेनों में स्वच्छता और साफ–सफाई को सुनिश्चित करने हेतु 'ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस' की व्यवस्था किया जाना। ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस दानापुर मंडल के RNCC Depot में ट्रेन नं0 12309/10, 13201/02, 13237/38–39/40, 12355/56, 12395/96, 12393/94, 12023/24, 12065/66,13281/82, 22353/54 एवं 22355/56 दानापुर डिपो में 13255/56, 23251/52, 13245/46–47/48 एवं 13287/88 राजगीर डिपो में 12391/92 धनबाद मंडल के धनबाद डिपो में 13351/52 एवं 13307/08 मुगलसराय मंडल के गया डिपो में 12397/98 सोनपुर मंडल के बरौनी डिपो में 12553/54, 12521/22, 15203/04, एवं 15231/32 समस्तीपुर मंडल के रक्सौल डिपो में 15273/74, सहरसा डिपो में 15279/80 जयनगर डिपो में 12569/70 प्रावधान किया गया है।	**मुवाप्रा**

2.0	**एजेण्डा (2)– पूर्व मध्य रेल में स्वच्छता को और बेहतर कैसे कर सकते हैं।**	स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर
2.7	‘क्लीन ट्रेन स्टेशन‘ स्कीम मुगलसराय और बरौनी स्टेशनों पर लागू किया गया है। इस स्कीम के तहत गजरने वाली ट्रेनों में उनके निर्धारित ठहराव के दौरान सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करना। रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुरूप पूर्व मध्य रेल में आने वाली सभी ट्रेनों में पेस्ट और रोडेंट कंट्रोल का प्रावधान किया जाना।	**मुवाप्रा**

2.0	**एजेण्डा (2)– पूर्व मध्य रेल में स्वच्छता को और बेहतर कैसे कर सकते हैं।**	स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर
2.8	पूर्व मध्य रेल में बेहतर स्वच्छता हेतु प्रथम प्लास्टिक बोतलों का उपयोग सभी कार्यालय सभाओं, सम्मेलनों एवं कार्यशालओं में बंद करने की अनुशंसा की गई है तथा प्लास्टिक बोतलें, जो कि यात्रियो द्वारा सफर में ट्रेनों, रेल–पटरियों एवं रेलवे स्टेशनों पर फेंका जाता है, उसके रिसाइक्लिंग का प्रस्ताव है। इसके लिए निर्माताओं से बात भी की गई है और कई निर्माता इन प्लास्टिक बोतलों को खरीदकर रिसाइक्लिंग करने की इच्छा भी जताई है। इससे स्वच्छता में वृद्धि के साथ–साथ पर्यावरण को भी लाभ होगा तथा इसमें रेलवे की तरफ से कोई व्यय नहीं होगा।	मुयांई

2.0	**एजेण्डा (2)– पूर्व मध्य रेल में स्वच्छता को और बेहतर कैसे कर सकते हैं।**	स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर
2.8	इस कडी का अगला कदम है – व्यर्थ कागजों का निष्पादन। इसके अंतर्गत हर कार्यालय में कतरनी मशीन (Shredder) का प्रस्ताव है। हर कार्यालय/विभाग में प्रतिदिन अपना अनुपयोगी काजग कतरनी मशीन (Shredder) में निष्पादित करेगा। सप्ताह/माह उपरांत जब उपयुक्त मात्रा जमा हो जाएगी तब संबंधित रिसाइक्लर, जो कि पहले से निर्धारित हो, बुलाया जाएगा। संयुक्त मापन करके उक्त रद्दी को टिशू पेपर बनाने हेतु इस्तेमाल किया जाएगा एवं इससे रेलवे को लाभ भी होगा।	मुयांई

2.0	**एजेण्डा (2)– पूर्व मध्य रेल में स्वच्छता को और बेहतर कैसे कर सकते हैं।**	स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर
2.9	1.स्टेशन परिसर में स्वच्छता के लिए दुकानों एवं स्टॉलों को परिसर से दूर बनाना चाहीए, या उनके पास उनके द्वारा निकले हुए कचडा अथवा अपशिष्ट पदार्थ को एकत्रित करने के लिए डस्टबिन का प्रयोग करना चाहिए। 2.स्टेशन पर प्रतीक्षालय को बडा बनाना चाहिए, जिससे उसमें अधिक से अधिक यात्री बैंठ सके तथा यत्र – तत्र घूमकर स्टेशन परिसर को गंदा न करे। 3.जहां संभव हो वहां पर कचरा एकत्रित करने के लिए डस्टबिन की व्यवस्था होनी चाहिए। 4.नियमित प्लेटफॉर्म की सफाई होनी चाहिए एवं समय – समय पर ब्लीचींग पावडर का छिडकाव किया जाना चाहिए। 5.समय – समय पर स्टेशन परिसर में बने शौचालयों एवं कमरों की सफाई होनी चाहिए, जिससे गंदगी न फैले।	**मुचिनि**

2.0	एजेण्डा (2)– पूर्व मध्य रेल में स्वच्छता को और बेहतर कैसे कर सकते हैं।	स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर
2.9	6.स्टेशन एवं कॉलोनियों की गंदे जल निकासी के लिए चौडी नालियों की व्यवस्था होनी चाहिए तथा इनकी समय – समय पर सफाई होनी चाहिए। 7.कॉलोनियों के आस – पास कूड़ेदानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहीए तथा समय – समय पर इसकी सफाई होनी चाहिए। 8.रेल परिसर को स्वच्छ रखने के लिए नियमित निम्न सामग्री की उपलब्धता अनिवार्य है। (क.) Cleaning Agent (ख.) Mosquito repellent (ग.) Air Freshner/De - odorant 9.सफाई कर्मचारीयों को वर्दी, टोपी, दस्ताना, जूता, आंखों की सुरक्षा हेतु चश्मा, प्रदूषण रोधक मास्क की सुविधा उपलब्ध होनी चाहीए, जिससे वे समुचित रूप से साफ –सफाई कर सके।	मुचिनि

2.0	**एजेण्डा (2)– पूर्व मध्य रेल में स्वच्छता को और बेहतर कैसे कर सकते हैं।**	
2.9	10.समय – समय पर सफाई कर्मियों को प्रशिक्षण दी जानी चाहिए। 11.समय – समय पर यात्रियों का सुझाव लेना चाहिए। 12.समय – समय पर स्टेशन का निरीक्षण करना चाहिए। 13.संभव हो तो समय – समय पर स्वच्छता की जागरूकता के लिए कार्यक्रम की व्यवस्था की जानी चाहीए। 14.मेजर स्टेशन पर एप्रन बनाना चाहिए और Longitudinal नाली को मरम्मत करना जरुरी है, ताकि पानी का जमाव ट्रैक पर न हो। 15.स्वच्छता पर जागरुकता के लिए जगह जगह पर बैनर टंगी होनी चाहिए। 16.स्टेशनों को दोनों ओर मीनि गार्डेन बनना चाहिए और सर्कुलेटिंग एरिया पर गार्डेन को उपलब्धता स्टेशन परिसर को और बेहतर सौन्दर्य दे सकते है।	**मुचिनि**

2.0	एजेण्डा (2)– पूर्व मध्य रेल में स्वच्छता को और बेहतर कैसे कर सकते हैं।	
2.10	पूर्व मध्य रेल में स्वच्छता को बेहतर बनाने के लिए कार्यस्थल को साफ–सुथरा रखकर एवं समय–समय पर विशेष सफाई अभियान चला कर इसे और बेहतर किया जा सकता है।	प्रविस

2.0	एजेण्डा (2)– पूर्व मध्य रेल में स्वच्छता को और बेहतर कैसे कर सकते हैं।	स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर
2.11	स्वच्छ भारत का अभियान पूर्ण सफलता को तभी अग्रसर हो पायेगा जब भारतीय इसे अपनी व्यक्तिगत एवं नीतिगत जिम्मेवारी समझकर स्वच्छ अभियान के इस महाकुम्भ में अपना पूर्ण योगदान करेंगे । साथ ही साथ अपने परिवार, मित्र बन्धुओं को बैठकों, सभाओं द्वारा प्रेरित एवं उत्साहित करेंगे । मानसिक व भाारीरिक रूप से स्वस्थ्य रहने में स्वच्छता का बहुत बड़ा योगदान होता है । रेलवे द्वारा यात्रियों को सचेत एवं जागरूक करने की दृष्टि से समय–समय पर नुक्कड़ नाटकों के द्वारा एवं उपयुक्त संसाधनों द्वारा स्वच्छता को और बेहतर बनाया जा सकता है ।	मुसुआ

धन्यवाद